अध्याय ९

ख१,[निगम] कर

१७२. इस अधिनियम के अधीन कर लगाये जायेंगे—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और उसके तथा भारत का संविधान अनुच्छेद २८५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए [१][निगम] निम्नलिखित कर लगायेगी—

(क) सम्पत्ति कर ;

(ख) यंत्रचालित वाहनों से भिन्न वाहनों (Vehicles) तथा किराये पर चलने या नगर के भीतर रखी गयी गाड़ियों (conveyances) या वहाँ बाँधी जाने वाली नावों पर कर ;

(ग) सवारी करने, जोतने, गाड़ी खींचने या बोझा ढोने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले पशुओं पर कर, जब वे [१][निगम] के भीतर रखे जायें।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट करों के अतिरिक्त [१][निगम] इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तथा उसके उपबन्धों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित करों में से कोई भी कर लगा सकती है—

(क) व्यापारों, आजीविकाओं (callings) और व्यवसायों तथा सार्वजनिक या निजी नियुक्ति होने पर कर ;

(ख) ख२,[* * *]

(ग) [२][* * *]

(घ) [२][* * *]

(ङ) नगर के भीतर रखे गये कुत्तों पर कर ;

(च) परिवृद्धि कर (betterment tax) ;

(छ) नगर के भीतर स्थित अचल संपत्ति के हस्तान्तरण लेखों पर कर ;

(ज) समाचार–पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर ;

(झ) प्रेक्षागृहों (theatres) पर कर ;

(ञ) ख३,[* * *]

ख४,[* * *]

(३) [१][निगम] कर इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाई गई नियमावली और उपविधियों के अनुसार निर्धारित (assess) किये जायेंगे (levied)

(४) इस धारा की कोई बात, कोई ऐसा कर लगाने का प्राधिकार न देगी, जिसे भारत का संविधान के अधीन राज्य विधान मंडल को राज्य में लगाने का अधिकार नहीं है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई कर भारत का संविधान के प्रारम्भ के ठीक पूर्व नगर में सम्मिलित किसी क्षेत्र में विधितः लगाया जा रहा था तो ऐसा कर का लगाया जाना और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाना जारी रखा जा सकता है जब तक कि संसद इसके विपरीत कोई उपबन्ध न बनाये।

सम्पत्ति–कर

१७३. सम्पत्ति–कर लगाये जा सकेंगे–(१) धारा १७२ की उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति कर में निम्नलिखित कर सम्मिलित होंगे, जो आगे व्यवस्थित अपवादों, परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए नगर में भवनों या भूमियों पर लगाये जायेंगे–

(क) सामान्य कर, जो यदि [ख५,][निगम] ऐसा निर्धारित करे, आनुक्रमिक दर (graduated scale) से आरोपित किया जा सकता है ;

(ख) [ख६,][(ख) जल–कर जो उन क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा जहाँ निगम द्वारा जल की आपूर्ति की जाती हो];

(ग) जल निस्सारण कर (drainage tax), जो उन क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा, जहाँ [१][निगम] में नालों (sewer) की प्रणाली की व्यवस्था की हो ;

(घ) ऐसे क्षेत्रों में स्वच्छता कर (conservancy tax), जहाँ [१][निगम] संडासों, मूत्रालयों और नलकूपों से मलमूत्र और दूषित पदार्थ इकट्ठा करने, हटाने तथा उनका निस्तारण करने का कार्यभार वहन करती है।

(२) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई नियमावली में स्पष्ट रूप से की गयी अन्य व्यवस्था को छोड़कर ये कर यथास्थिति भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य (annual value) पर लगाये जायेंगे :

[ख७,][किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्पत्ति–करों का योग, किसी भी दशा में भवन या भूमि या दोनों ही, जिस पर उक्त कर निर्धारित किये गये हों, के वार्षिक मूल्य के बाइस प्रतिशत से कम और बत्तीस प्रतिशत से अधिक न होगा, किन्तु इस प्रकार कि सामान्य कर, वार्षिक मूल्य के दस प्रतिशत से कम और पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न होगा, जल–कर, वार्षिक मूल्य के साढ़े सात प्रतिशत से कम और कम से कम और साढ़े बारह प्रतिशत से अधिक न होगा, जल निस्सारण–कर, वार्षिक मूल्य के ढाई प्रतिशत से कम और पांच प्रतिशत से अधिक न होगा और स्वच्छताकर, वार्षिक मूल्य के दो प्रतिशत से अधिक न होगा।]

१७४. वार्षिक मूल्य की परिभाषा–[ख८,][(१)] वार्षिक मूल्य से तात्पर्य है–

[ख६,][(क) रेलवे स्टेशनों, कालेजों, छात्रावासों, कारखानों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावसिक भवनों की दशा में, नियम द्वारा निश्चित की गई दर से मूल्यापकर्षण व्यय घटाने के पश्चात् भवन–निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत और उनके संलग्न भूमि के अनुमानित मूल्य को जोड़कर निकाली गयी धनराशि का ५ प्रतिशत से अन्यून भाग जिसे एतदर्थ बनाये गये नियम द्वारा निश्चित किया जायेगा ; और]

[२][(ख) ऐसे भवन या भूमि की दशा में, जो खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आती हो, भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्र पर, यथास्थिति, भवन के मामले में कारपेट एरिया का प्रति वर्ग फुट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक दर से या भूमि के मामले में क्षेत्र का प्रति वर्ग फुट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक दर से गुणा करने पर प्राप्त मूल्य का बारह गुना और इस प्रयोजन के लिए प्रति वर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर ऐसी होगी जैसी मुख्य नगर अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन के निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ के प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट और ऐसे भवन या भूमि के लिये उस क्षेत्र में किराये की वर्तमान न्यूनतम दर और ऐसे अन्य कारणों के आधार पर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, निर्धारित की जाती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त रीति से हिसाब लगाने पर निगम की राय में, किसी असाधारण परिस्थिति के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य अत्यधिक होता हो तो निगम वार्षिक मूल्य के रूप में कोई ऐसी कम धनराशि भी निश्चित कर सकती है जो उसे न्याय संगत प्रतीत हो।

स्पष्टीकरण एक —वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कारपेट एरिया की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :—

(एक) कमरे—आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप ;

(दो) आच्छादित बरामदा—आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप ;

(तीन) बालकनी, कारीडर—आन्तरिक आयाम की पचास प्रतिशत माप ;

(चार) गैराज—आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप ;

(पाँच) स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

स्पष्टीकरण दो—किसी भवन के मानक किराया, समस्त किराया या रीजनेबुल एनुअल रेन्ट की, जो उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, १९७२ के प्रयोजन के लिए है, गणना उस भवन के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय, नहीं की जायेगी।]

[ख१०,] [(२) यदि निगम ऐसा संकल्प करे तो वार्षिक मूल्य, सम्पत्ति कर के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, निम्न प्रकार होगा—

(क) भूमि और स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन के मामले में उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से, यदि भवन दस वर्ष से अधिक पुराना नहीं है तो २५ प्रतिशत कम और यदि वह दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम पुराना है तो ३२.५ प्रतिशत कम और यदि वह बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो चालीस प्रतिशत कम, समझा जायेगा ; और

(ख) किराये पर उठाये गये आवासिक भवन के मामले में उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से, यदि भवन दस वर्ष से अधिक पुराना है तो २५ प्रतिशत और यदि वह दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम पुराना है तो १२.५ प्रतिशत, अधिक समझा जायेगा और यदि वह बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो वार्षिक मूल्य उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।]

[ख११,] *[जल कर लगाने पर प्रतिबन्ध]*

[ख१२,] [**१७५. जल कर लगाने पर प्रतिबन्ध**—धारा १७३ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन कर इस निर्बन्धन के अधीन रहते हुए लगाया जायेगा कि निम्नलिखित पर ऐसा कर न लगाया जाये—

(१) किसी ऐसी भूमि पर जिसका उपयोग एकमात्र कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता हो, जब तक कि [ख१३,] [निगम] द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए जल सम्भरित न किया जाये ; या तो

(२) किसी ऐसे भू—खण्ड या भवन पर जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये से अधिक न हों और जिसे [४] [निगम] द्वारा जल सम्भरित न किया जाता हो ; या

(३) किसी ऐसे भू—खण्ड या भवन पर जिसका कोई भाग निकटतम बम्बा या अन्य जलकल से जहाँ पर जनता की [४][निगम] द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हो, उस नगर के लिए विहित अर्धव्यास के भीतर हो।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए –

(क) 'भवन' में उसका अहाता (यदि कोई), और जहां एक ही सामान्य अहाते में अनेक भवन हों, वहां ऐसे समस्त भवन और सामान्य अहाता भी सम्मिलित हो;

(ख) 'भू–खण्ड' का तात्पर्य किसी ऐसे भूमि के खण्ड से है जो किसी एकल अध्यासी द्वारा या अनेक आसंगतियों द्वारा सामान्य रूप से धन हो, जिसका कोई भी भाग किसी दूसरे भाग से किसी अन्य अध्यासी य अध्यासियों की भूमि या सार्वजनिक सम्पत्ति के द्वारा पूर्णतया पृथक्कृत न हो।]

१७६. जल–कलों और जल–निस्सारण के निर्माण–कार्यो से होने वाली आय को एकत्र करना– जल–कर, जल–निस्सारण कर और स्वच्छता कर से होने वाली आय तथा ऐसी अन्य समस्त आय को, जो जल–कलों, जल–निस्सारण कार्यो, नालियों तथा संडासों, मूत्रालयों और मलकूपों से इकट्ठा किए गए मल, इत्यादि और दूषित पदार्थों और ऐसे पदार्थों के निस्सारण से तथा ''सलेज फार्मों'' से होती हो, एकत्र किया जायेगा और इसे उक्त जल–कलों और जल–निस्सारण निर्माण कार्यों के निर्माण, संधारण, विस्तार और सुधार के सम्बन्ध में और संडासों, मूत्रालयों तथा नलकूपों से मल इत्यादि और दूषित पदार्थ इकट्ठा करने, हटाने और उनका निस्तारण करने के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत सलेज फार्मों का संधारण भी है, होने वाले व्ययों को पूरा करने के लिए खर्च किया जायेगा।

१७७. किन भू–गृहादि पर सामान्य कर आरोपित किया जायेगा– सामान्य कर नगर में स्थित (सभी) भवनों और भूमियों पर लगाया जायेगा, सिवाय–

(क) उन भवनों और भूमियों के, जो एकमात्र मृतकों के निस्तारण से संबद्ध प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती हो;

(ख) उन भवनों और भूमियों या उनके ऐसे भाग के, जो केवल सार्वजनिक उपासना या दानोत्तर के प्रयोजन के लिए अध्यासन में हो;

ख१४[(ग) भवन जो एकमात्र जेलों, न्यायालय, गृहों, कोषागार, स्कूल और कालेजों के रूप में प्रयुक्त होते हों, किन्तु ऐसे वृत्तिक, व्यावसायिक, प्राविधिक और चिकित्सीय संस्थानों को छोड़कर जिन्हें सरकार द्वारा न तो चलाया जाता है और न प्रबन्ध किया जाता है।]

(घ) एन्शिएन्ट मानुमेन्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट, १९०४ (प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, १९०४) में परिभाषित प्राचीन स्मारकों के किन्तु ऐसे किसी स्मारक के सम्बन्ध में राज्य सरकार के दिये हुए किसी आदेश के अधीन रहते हुए ;

ख१५[(ङ) किसी ऐसे भवन या भूमि के, जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रूपये या इससे कम हो; प्रतिबन्ध यह है कि उसके स्वामी का उसी नगर में कोई अन्य भवन या भूमि न हो, ख१६[और ख१७ [निगम] की मुख्य शाखा सीवर लाइन से तीस मीटर के भीतर किसी भवन की स्थिति में अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उसमें फ्लश की व्यवस्था सहित शौचालय हों]] ख१८[**]

(च) भारत के संविधान के अनुच्छेद २८५ के खंड (२) के उपबन्ध जहां लागू होते हों उन्हें छोड़कर भवन तथा भूमि जो भारत के संघ में निहित हों।

ख१६[(छ) स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा कोई आवसिक भवन जो तीस वर्ग मीटर के भूखण्ड पर निर्मित किया गया हो या जिसका कारपेट एरिया १५ वर्ग मीटर तक हो; प्रतिबन्ध यह है कि उसके स्वामित्व में नगर में कोई अन्य भवन न हो;

(ज) स्वामी द्वारा अध्यासित आवसिक भवन जो किसी ऐसे क्षेत्र में हो जिसे पिछले दस वर्ष के भीतर नगर में सम्मिलित किया गया हो।]

टिप्पणी

***छूट सम्बन्धी खंड** (Exemption clause)*–किसी करारोपण कानून का किंचित प्रमुख आशय यही है कि कर अधिरोपित

किया जाये। छूट देने का महत्व दूसरे स्थान पर आता है। [*जसवन्त राम जय नारायण* बनाम *बिक्रीकर अधिकारी,* (१९६१) १२ एस०टी०सी० ६१६]।

१७८. अनध्यासन (non_occupation) के कारण छूट– (१) जब किसी वर्ष कोई भवन या भूमि निरन्तर नब्बे या इससे अधिक दिनों तक खाली रहा हो और उससे किराया न मिलता रहा हो तो मुख्य नगर अधिकारी उस वर्ष के प्रत्येक संपत्ति कर में उतनी छूट दे देगा या उसे वापस कर देगा, जो उतने दिनों के अनुपात में हो, जितने दिनों तक उक्त भवन या भूमि खाली रही हो और उससे किराया न मिला हो।

(२) यदि किसी भवन में अलग–अलग लघुगृह (tentments) हों और उनमें से एक या एकाधिक ऊपर उल्लिखित किसी अवधि तक खाली रहा हो और उससे किराया न मिला हो, तो मुख्य नगर अधिकारी प्रत्येक कर या किस्त के ऐसे भाग (यदि कोई हो) को छूट दे सकता है या उसे वापस कर सकता है, जो विहित किया जाये :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस समय तक कोई छूट न दी जायेगी जब तक [ख२०.][निगम] को इस बात का लिखित नोटिस न दे दिया गया हो कि भवन या भूमि खाली है और उसमें कोई किराया नहीं मिल रहा है और ऐसा नोटिस देने के दिन से पूर्व की किसी अवधि के लिए कोई छूट या वापसी प्रभावी न होगी।

(३) उन तथ्यों, को, जिनके कारण कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन उपशम (rilief) प्राप्त करने का अधिकारी हो, प्रमाणित करने का भार स्वयं उसी पर होगा।

(४) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई भवन–भूमि खाली समझी जायेँ यदि वह आमोद–प्रमोद के स्थान (pleasure resort) या नगरगृह या ग्राम्यगृह (town or country house) के रूप में संधारित की जाती हो अथवा यह न समझा जायेगा कि उससे किराया नहीं मिल रहा है। यदि उसे किसी ऐसे किरायेदार या काश्तकार (tenant) के पास छोड़ दिया गया हो, जिसे उसके निरन्तर अध्यासन का अधिकार हो, चाहे वह उसके वास्तविक अध्यासन में हो या न हो।

टिप्पणियाँ

लेखबद्ध नोटिस का दिया जाना– मुख्य नगर अधिकारी नोटिस दिये जाने की रीति का अवधारण करेगा। उ०प्र० बिक्री कर अधिनियम के उपबन्धों का उपयोग करते हुये यह धारण किया गया कि इस मामले का विनिश्चय कि क्या कोई रीति विशेष साध्य है या नहीं, बिक्री कर अधिकारी द्वारा किया जायेगा। [*गोपालदास उत्तम चन्द्र* बनाम *बिक्रीकर अधिकारी,* (१९७०) २३ एस०टी०सी० २२६]।

क्या डाक द्वारा तामील पर्याप्त है– जब कर निर्धारण की प्रतियाँ रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी गई तो उ०प्र० सामान्य खंड अधिनियम की धारा २७ में अन्तर्विष्ट उपधारणा (presumption) की गई। यह धारण किया गया कि रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजे गये कर निर्धारण आदेशों की तामील याची पर हो गई है। [*भारत ग्लास फैक्ट्री* बनाम *बिक्रीकर अधिकारी, द्वितीय, इलाहाबाद,* (१९६४) २१ एस०टी०सी० ४४७, पृष्ठ ४४८]।

क्या तार द्वारा तामील पर्याप्त है– तामील तार द्वारा नहीं की जा सकती। बाह्य अभिकरण का हस्तक्षेप केवल एक ही रीति, अर्थात् रजिस्ट्री डाक द्वारा हो सकता है, तार द्वारा तामील नहीं की जा सकती। [*किशोरी लाल अग्रवाल* बनाम *उ०प्र० राज्य,* १९६५ ए०एल०जे० १७२, पृष्ठ १७४]।

१७९. वार्षिक मूल्य पर लगाये जाने वाले कतिपय सम्पत्ति–करों के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व–(१) अन्यथा विहित की गई व्यवस्था को छोड़कर भवनों या भूमियों के वार्षिक मूल्य पर प्रत्येक कर (जो जल–निस्सारण कर या स्वच्छता–कर से भिन्न हो) प्राथमिक रूप से उस सम्पत्ति के, जिस पर उक्त कर निर्धारित किये गये हों, वास्तविक, अध्यासी पर लगाया जायेगा यदि वह उक्त भवनों या भूमियों का स्वामी हो या उसने उन्हें केन्द्रीय या राज्य सरकार या ख२१.[निगम] से सम्बन्धित पट्टे या अन्य पट्टे पर या किसी व्यक्ति से भवन संबंधी पट्टे पर लिया हो।

(२) किसी अन्य दशा में कर प्रथमतः (primarily) निम्नलिखित रूप से लगाया जायेगा, अर्थात्–

(क) यदि सम्पत्ति किराये पर उठाई गई हो तो पट्टादाता से ;

(ख) यदि सम्पत्ति शिकमी पट्टे पर दी गई हो तो वरिष्ठ (superior) पट्टादाता से ;

(ग) यदि सम्पत्ति किराये पर नहीं उठाई गई हो तो उस व्यक्ति से, जिसमें उसे किराये पर उठाने का अधिकार निहित हो।

ख२२.[(घ) यदि सम्पत्ति, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, १९७२ के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में किराये पर उठाई गई हो, तो किरायेदार से।]

(३) प्रथमतः देनदार व्यक्ति से कोई ऐसी धनराशि, जो उससे उक्त कर के रूप में प्राप्य (due) हो, वसूल न होने पर मुख्य नगराधिकारी उन भवनों या भूमियों के, जिनके संबंध में वह देय हो, किसी भाग के अध्यासी (occupier) से उस कर का ऐसा भाग वसूल कर सकता है, जो देय कर की सम्पूर्ण धनराशि के उस अनुपात में हो जो उक्त अध्यासी द्वारा देय वार्षिक किराये की धनराशि में तथा उक्त पूरे भवन या भूमि के सम्बन्ध में देय कुल किराये की धनराशि या प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची (authenticated assessment list) में उसके किराये के मूल्य की कुल धनराशि में हो।

(४) यदि कोई अध्यासी कोई ऐसा भुगतान करे, जिसके लिए पूर्वोक्त उपबन्धों के अधीन वह प्रथमतः देनदार नहीं है तो किसी विपरीत संविदा के न होने पर वह प्रथमतः देनदार व्यक्ति से उक्त धनराशि की भरपाई (reimbursement) पाने का अधिकारी होगा।

१८०. ऐसे अन्य करों के भुगतान का दायित्व–(१) भवनों या भूमियों के वार्षिक मूल्य पर जल निस्सारण कर या स्वच्छता कर उस संपत्ति के, जिस पर वे कर निर्धारित किये गये हों, वास्तविक अध्यासी से वसूल किये जायेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी संपत्ति एक से अधिक अध्यासियों को किराये पर उठाई गई हो तो मुख्य नगराधिकारी को यह विकल्प (option) प्राप्त होगा कि वह वास्तविक अध्यासियों के बजाय पट्टादाता (lessor) से कर वसूल करें।

(२) कोई पट्टादाता, जिसने उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन कर वसूल किया हो, किसी विपरीत संविदा के न होने पर उक्त कर की धनराशि किन्हीं या सभी वास्तविक अध्यासियों से वसूल कर सकता है।

१८१. सम्पत्ति–कर उन भू–गृहादि पर, जिन पर वे निर्धारित किये गये हों, प्रथम भार (charge) होगा–(१) राज्य सरकार को किसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में देय मालगुजारी, यदि कोई हो, का पहले भुगतान कर दिये जाने के प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये इस अधिनियम के अधीन उस भवन या भूमि के संबंध में देय सम्पत्ति कर, राज्य सरकार से सीधे लिये गये (held immediately) किसी भवन 'या भूमि की

दशा में, उक्त भवन या भूमि में उन करों के देनदार व्यक्ति के स्वत्व पर तथा उक्त भवन के भीतर या भूमि में स्थित चल सम्पत्ति पर, यदि कोई हो, जिसका वह स्वामी हो और किसी अन्य भवन या भूमि की दशा में उक्त भवन या भूमि पर, जो उस व्यक्ति की हो, जो ऐसे करों का देनदार है, सर्वप्रथ्झम भार होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में ''सम्पत्ति कर'' के संबंध में यह समझा जायगा कि उसके अन्तर्गत ऐसे व्यय, जो किसी भू–गृहादि को सम्भरण किये गये जल के कारण देय हों और नियमावली में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर की वसूली पर होने वाले व्यय, आ जाते हैं।

(२) उपधारा (१) के अधीन उत्पन्न किसी भार (charge) को कार्यान्वित करने के लिए प्रस्तुत वाद की किसी डिक्री में न्यायालय यह आज्ञा दे सकता है कि देय धनराशि पर वाद प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से उसकी वसूली के दिनांक तक उस ब्याज की दर से, जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, [ख२३][निगम] को ब्याज दिया जाय और ऐसे ब्याज तथा ऐसे भार को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में होने वाला व्यय, जिसमें वाद–व्यय और उक्त डिक्री के अधीन सम्बद्ध भू–गृहादि या चल सम्पत्ति की बिक्री पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है। उपर्युक्त बातों के अधीन रहते हुए देय धनराशि सहित ऐसे भू–गृहादि और चल सम्पत्ति पर प्रथम भार होगा और न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि डिक्री की आय में से उक्त धनराशियों का भुगतान [१][निगम] को कर दिया जाय।

वाहनों और नावों तथा पशुओं पर कर

१८२. वाहनों और नावों तथा पशुओं पर कर—(१) धारा १७२ की उपधारा (१) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कोई कर उन दरों से ऊँची दरों पर न लगाया जायगा जो राज्य सरकार समय–समय पर एतदर्थ, यथास्थिति, वाहनों और नावों अथवा पशुओं के सम्बन्ध में नियमों द्वारा निर्दिष्ट करें।

(२) [१][निगम] वर्ष–प्रतिवर्ष धारा १४८ के अनुसार वह दरें निर्धारित करेगी, जिसके अनुसार उपधारा (१) में निर्दिष्ट कर लगाया जायगा।

(३) किसी ऐसे वाहन (vehicle), नाव या पशु के सम्बन्ध में जो नगर की सीमाओं के बाहर रखा गया हो, किन्तु जो नियमित रूप से उन सीमाओं के भीतर प्रयुक्त होता हो, यह समझा जायगा कि वह नगर में प्रयोग के लिए रखा गया है।

१८३. धारा १७२ में उल्लिखित कतिपय करों से मुक्ति—(१) धारा १७२ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन कर निम्नलिखित के सम्बन्ध में न लगाया जा सकेगा—

(क) वाहन और नावें, [१][निगम] की हों।

(ख) भारत का संविधान के अनुच्छेद २८५ के खंड (२) के उपबन्ध जहाँ लागू होते हों, उसे छोड़कर वाहन और नावें, जों भारत के संघ में निहित हों ;

(ग) भारत के संघ में सम्मिलित किसी राज्य में निहित वाहन और नावें, जो केवल सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होती हों तथा लाभ के प्रयोजनार्थ न तो वे प्रयुक्त होती हों और न एतदर्थ उनका प्रयोग अभिप्रेत हो ;

(घ) वाहन और नावें, जो केवल घायलों, बीमारों या मृतकों को निःशुल्क लाने–ले जाने के लिए अभिप्रेत हों ;

◀[६](ङ) बच्चों पेराम्बुलेटर और तीन पहिये की साइकिलें ;

(च) वाहन या नावें, जिन्हें वाहनों या नावों के वास्तविक व्यापारी (bona fide dealers) केवल विक्रय के प्रयोजनार्थ अपने पास रखते हों, और जो प्रयुक्त न होती हों ;

(२) धारा १७२ की उपधारा (१) के खंड (ग) के अधीन कर निम्नलिखित के सम्बन्ध में न लगाया जा सकेगा—

(क) पशु जो ख्२४[निगम] के हों ;

(ख) भारत के संघ में निहित पशु जब कि भारत का संविधान के अनुच्छेद २८५ के खंड (२) के उपबन्ध लागू न होते हों ;

(ग) भारत के संघ में सम्मिलित किसी राज्य में निहित पशु जो केवल सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होते हों तथा लाभ के प्रयोजनार्थ न तो वे प्रयुक्त होते हों और न एतदर्थ उनका प्रयोग अभिप्रेत हो।

(३) यदि उपधारा (१) के खंड (ख) या खंड (ग) या उपधारा (२) के खंड (घ) या खंड (ग) के अधीन इस आशय का कोई प्रश्न उठ खड़ा हो कि भारत के संघ या उसमें सम्मिलित किसी राज्य में निहित कोई वाहन, नाव या पशु लाभ के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होता है या नहीं, अथवा एतदर्थ उसका प्रयोग अभिप्रेत है या नहीं तो उसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जायगा और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

अन्य कर

१८४. परिवृद्धि कर—परिवृद्धि कर से तात्पर्य वह कर है, जो किसी ऐसी भूमि के मूल्य की वृद्धि पर लिया जाय जो अध्याय १४ के अधीन प्रवृत्त किसी योजना में सम्मिलित हो, किन्तु उसके निष्पादन के लिए वास्तव में अपेक्षित न हो अथवा ऐसी किसी भूमि के मूल्य की वृद्धि पर, जो उक्त योजना की सीमा के पार्श्व में (adjacent) हो और उससे एक–चौथाई मील के भीतर हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त पार्श्ववर्ती भूमि नगर के भीतर स्थित हो।

१८५. परिवृद्धि कर की धनराशि—परिवृद्धि कर की धनराशि १८७ की उपधारा (२) के अधीन सार्वजनिक नोटिस में निर्दिष्ट दिनांक को उक्त भूमि के बाजार–मूल्य और अध्याय १४ के अधीन योजना के अन्तिम रूप से विज्ञापित किये जाने के दिनांक को या उसके ठीक पूर्व दिनांक पर उक्त भूमि के बाजार–मूल्य के अन्तर की धनराशि के आधे के बराबर होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन हिसाब लगाने के प्रयोजनों के लिए भूमि सब भवनों से रहित समझी जायगी।

१८६. परिवृद्धि कर का भुगतान—जहाँ [१][निगम] ने धारा १७२ की उपधारा (२) के खंड (च) में उल्लिखित कर अधिरोपित किया है, धारा १८४ में उल्लिखित भूमि का प्रत्येक स्वामी या कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका उक्त भूमि के मूल्य की बृद्धि के सम्बन्ध में कोई स्वत्व हो, आगे व्यवस्थित रीति से [१][निगम] को परिवृद्धि कर अदा करेगा, जितना मुख्य नगराधिकारी निर्धारित करे।

१८७. परिवृद्धि कर लगाये जाने की नोटिस—(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा वह दिनांक घोषित करेगी, जिस पर योजना पूर्ण हुई समझी जायगी।

(२) उपधारा (१) में घोषित योजना पूर्ण होने के एक वर्ष के भीतर मुख्य नगराधिकारी [१][निगम] के इस अभिप्राय का एक सार्वजनिक नोटिस देगा कि वह एक निर्दिष्ट दिनांक से परिवृद्धि कर लगाना चाहता है।

१८८. परिवृद्धि कर का निर्धारण—(१) मुख्य नगराधिकारी उक्त नोटिस के प्रकाशन के एक मास के पश्चात् किसी भी समय सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा देय परिवृद्धि कर की धनराशि निर्धारित करेगा और उस व्यक्ति को लिखित नोटिस देगा, जिसमें कर की धनराशि और किस्तों यदि कोई हों, तथा दिनांक जब कर का भुगतान किया जायगा और ऐसे अन्य विवरणों का जो आवश्यक हो, उल्लेख किया जायगा।

(२) कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (१) के अधीन निर्धारण का नोटिस तामिल किया गया हो, ऐसा नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर उक्त निर्धारण के विरुद्ध मुख्य नगराधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (१) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी कोई आपत्ति स्वीकार की जा सकती है यदि उपधारा (३) में अभिदिष्ट कार्यकारिणी समिति या उसकी उपसमिति का यह समाधान हो जाय कि आपत्ति ऐसे कारणों से प्रस्तुत न की जा सकी थी, जो आपत्तिकर्ता के वश में बाहर थे।

(३) आपत्तिकर्त्ता को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् कार्यकारिणी समिति या एतदर्थ नियुक्त उसकी उपसमिति आपत्ति का निर्णय करेगी और तत्पश्चात् वह कर निर्धारण की पुष्टि कर सकती है, उसका परिष्कार कर सकती है या उसे रद्द (cancel) कर सकती है।

(४) यदि वह व्यक्ति, जिस पर उपधारा (१) के अधीन कर निर्धारण का नोटिस तामील किया गया होगा, उपधारा (२) के अधीन आपत्ति प्रस्तुत नहीं करता तो कर निर्धारण की आज्ञा निश्चायक होगी और उस पर किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में कोई आक्षेप नहीं किया जायगा।

१८९. परिवृद्धि कर का भुगतान करने के सम्बन्ध में विकल्प—(१) परिवृद्धि कर का देनदार कोई व्यक्ति, यदि वह चाहे, [ख२५][निगम] को उसका भुगतान करने के बजाय [1][निगम] के साथ उस आशय का एक अनुबन्ध निष्पादित कर सकता है कि वह उस शर्त के अधीन रहते हुए प्रतिवर्ष ६ प्रतिशत की दर से ब्याज की निरन्तर अदायगी करता रहेगा, भूमि में अपने स्वत्व पर एक भार (charge) के रूप में उक्त भुगतान को बकाया रखेगा।

(२) कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (१) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया हो, किसी भी समय धारा १८८ के अधीन निर्धारित कर की धनराशि की अदायगी कर सकता है, किन्तु उसे अपने इस अभिप्राय का ६ मास का नोटिस देना होगा।

१९०. परिवृद्धि कर की बकाया धनराशि की वसूली—(१) परिवृद्धि कर की बकाया की वसूली अध्याय २१ में व्यवस्थित रीति से की जायगी।

१९१. अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण के लेखों (deeds of transfer) पर कर—(१) यदि [1][निगम] ने धारा १७२ के खंड (छ) में निर्दिष्ट कर लगाया हो तो अचल सम्पत्ति के किसी हस्तान्तरण लेखे पर इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ द्वारा लगाया गया शुल्क (duty) नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति की दशा में [ख२६][प्रतिफल की धनराशि या मूल्य पर, जिसके अभिदेश में उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क की गणना की जाय] २ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा दिया जायगा।

(२) उक्त वृद्धि के फलस्वरूप, उगाही गई समस्त धनराशि, प्रासंगिक (incidental) व्ययों, यदि कोई हों, के घटाने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा [1][निगम] को उस रीति से अदा की जायगी जो नियमों द्वारा विहित की जाय।

(३) इस धारा के प्रयोजनों के लिए इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ की धारा २७ इस प्रकार पढ़ी जायगी तथा उसका अर्थ इस प्रकार लगाया जायगा मानो उसमें निर्दिष्ट ब्योरे निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक्–पृथक् देना उसके द्वारा विशिष्ट रूप से अपेक्षित हो—

(क) नगर के भीतर स्थित संपत्ति, और

(ख) नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति।

(४) इस धारा के प्रयोजनों के लिए इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८६६ की धारा ६४ को इस प्रकार पढ़ा जायगा और इसका अर्थ इस प्रकार लगाया जायगा मानो उसमें [ख२७][निगम] और राज्य सरकार दोनों ही को निर्दिष्ट किया गया हो।

१६२. विज्ञापनों का कर—जहाँ [१][निगम] ने धारा १७२ की उपधारा (२) के खंड (ज) में उल्लिखित कर आरोपित किया है प्रत्येक वृद्धि जो किसी भूमि, भवन, दीवाल, तख्ती (hoarding) या ढाँचे (structure) पर या उसके ऊपर कोई विज्ञापन लगाता, प्रदर्शित करता, चिपकाता या रखता है (erects, exhibits, fixes or retains) अथवा जो किसी भी स्थान में चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, किसी भी रीति से सर्वसाधारण के सम्मुख कोई विज्ञापन प्रदर्शित करता है, इस प्रकार लगाये गये, प्रदर्शित किये गये, चिपकाये गये, कायम रखे गये अथवा सार्वजनिक रूप में प्रदर्शित किय गये, प्रत्येक विज्ञापन के लिए ऐसी दरों पर और ऐसी रीति से तथा ऐसी मुक्तियों (exemptions) के अधीन रहते हुये, जिनकी व्यवस्था इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा की गई हो, लगाये गये कर का शोधन करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन निम्नलिखित प्रकार के विज्ञापन या नोटिस पर कोई कर नहीं लगाया जायगा—

(क) सार्वजनिक सभाओं (meetings) का ; या

(ख) किसी विधायिका संस्था या [१][निगम] के निर्वाचन या ; या

(ग) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में उम्मीदवारी का :

यह भी प्रतिबन्ध होगा कि यह कर किसी ऐसे विज्ञापन पर न लगाया जायगा जो आकाश चिन्ह (sky sign) न हो और जो—

(क) किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किया जाय ;

(ख) उस भूमि या भवन के भीतर किये जाने वाले व्यापार या व्यवसाय के बारे में हों, जिन पर या जिसके ऊपर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो या ऐसी भूमि या भवन या उनके भीतर सामान्य प्रभाव (effects) की किसी बिक्री या उसको किराये पर देने के बारे में हो या उसमें या उसके भीतर होने वाली किसी बिक्री, मनोरंजन या बैठक के बारे में हों ; या

(ग) ऐसी भूमि अथवा भवन के नाम के बारे में हो, जिस पर अथवा जिसके ऊपर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो या उस भूमि या भवन के स्वामी अथवा अध्यासी के नाम के बारे में हो ; या

(घ) किसी रेलवे प्रशासन के कारबार में हो ; या

(ङ) किसी रेलवे स्टेशन के भीतर या रेलवे प्रशासन की किसी दीवाल या किसी अन्य सम्पत्ति पर सिवाय ऐसी दीवाल या सम्पत्ति की सतह के किसी भाग के, जो किसी सड़क के सामने पड़ती हो, प्रदर्शित किया जाता हो।

***स्पष्टीकरण १*—**(क) इस धारा में शब्द ''ढाँचा'' (structure) के अन्तर्गत पहियेदार ऐसा सचल बोर्ड (movable board) भी होगा जिसका प्रयोग विज्ञापन अथवा विज्ञापन के साधन के रूप में किया जाता हो।

***स्पष्टीकरण २*—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द ''सार्वजनिक स्थान'' का तात्पर्य है कोई ऐसा स्थान, जो जनता के प्रयोग तथा आमोद–प्रमोद के लिए उपलब्ध हो चाहे वह जनता द्वारा वास्तव में प्रयोग या उपयोग में लाया जाता हो या न लाया जाता हो।

१६३. मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना विज्ञापनों का प्रतिषेध—(१) [१][निगम] द्वारा धारा १६२ के अधीन कर का लगाया जाना निर्धारित किये जाने के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी की लिखित

अनुमति के बिना नगर के भीतर किसी भूमि, भवन, दीवाल, विज्ञापन—फलक या ढाँचे पर कोई भी विज्ञापन न लगाया जायगा, न प्रदर्शित किया जायगा, न चिपकाया या कायम रखा जायगा और न किसी स्थान में, किसी भी ढंग से प्रदर्शित किया जायगा।

(२) मुख्य नगराधिकारी ऐसी अनुमति न देगा यदि—

(क) उक्त विज्ञापन धारा ५४१ के [ख२८,][खंड (४८)] के अधीन [ख२६,][निगम] द्वारा बनायी गई किसी उपविधि का उल्लंघन करता हो ; या

(ख) विज्ञापन के सम्बन्ध में देय कर का, यदि कोई हो, भुगतान न किया गया हो।

(३) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे विज्ञापन के सम्बन्ध में, जिस पर विज्ञापन कर लग सकता हो, मुख्य नगराधिकारी ऐसी अवधि के लिये अनुमति प्रदान करेगा, जिससे कर का भुगतान सम्बन्ध रखता हो, और ऐसी अनुमति देने के निमित्त कोई शुल्क न लिया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के उपबन्ध किसी रेलवे प्रशासन के कारोबार संबंधी विज्ञापन पर या ऐसे विज्ञापन पर लागू न होंगे, जो किसी रेलवे कम्पनी के भू—गृहादि पर लगाया गया हो, प्रदर्शित किया गया हो, चिपकाया या कायम रखा गया हो।

१६४. कतिपय दशाओं में मुख्य नगराधिकारी की अनुमति का शून्य होना—धारा १६३ के अधीन दी गयी अनुमति निम्नलिखित दशाओं में शून्य (void) होगी, अर्थात्—

(क) यदि विज्ञापन धारा ५४१ के खंड (४८) के अधीन [२][निगम] द्वारा निर्मित किसी उपविधि का उल्लंघन करता हो ;

(ख) यदि विज्ञापन में कोई परिवर्द्धन किया गया हो, सिवाय उस दशा के जब मुख्य नगराधिकारी के आदेशानुसार उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन से ऐसा किया जाय ;

(ग) यदि विज्ञापन अथवा उसके किसी भाग में कोई महत्वपूर्ण (material) परिवर्तन किया जाय ;

(घ) यदि विज्ञापन अथवा उसका कोई भाग दुर्घटना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से गिर जाय ;

(ङ) यदि उस भवन, दीवाल या ढांचे में, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन लगाया, प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रखा गया हो, कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाय और ऐसा परिवर्द्धन या परिवर्तन विज्ञापन अथवा उसके किसी भाग के लिये बाधक सिद्ध होता हो ; और

(च) यदि भवन, दीवाल या ढाँचा, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन लगाया गया, प्रदर्शित किया गया, चिपकाया या कायम रखा गया हो, गिराया या नष्ट कर दिया जाय।

१६५. विज्ञापन से लाभानुपयोगी उत्तरदायी समझा जायगा—यदि कोई विज्ञापन धारा १६२ अथवा १६३ का उल्लंघन करके किसी भूमि, भवन, दीवाल, विज्ञापन फलक (hoarding) अथवा ढाँचे (structure) पर अथवा उसके ऊपर लगाया (erected), प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रखा जाय अथवा उसे इस प्रकार किसी अवधि के लिए लगाने, प्रदर्शित करने, चिपकाने या कायम रखने के लिए दी गयी लिखित अनुमति समाप्त या शून्य हो गईं, तो वह व्यक्ति, जिसके लिए अथवा जिसके प्रयोजनार्थ विज्ञापन प्रत्यक्षतः लगाया, प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रखा गया हो, के विषय में यह समझा जायगा कि वह व्यक्ति है जिसने उपबन्धों का उल्लंघन करके इस प्रकार विज्ञापन को लगाया (erected), प्रदर्शित किया, चिपकाया या रखा गया है, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि ऐसा उल्लंघन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो उसकी नौकरी अथवा नियंत्रण में नहीं था अथवा वह बिना उसके आज्ञाभिनय (connivance) के किया गया था।

१६६. अप्राधिकृत विज्ञापनों का हटाया जाना—यदि धारा १६२ अथवा १६३ के उपबन्धों के प्रतिकूल कोई विज्ञापन, प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रखा गया हो अथवा उसे इस प्रकार किसी अवधि के लिए लगाने, प्रदर्शित करने, चिपकाने या कायम रखने के लिए दी गयी अनुमति समाप्त या शून्य हो गयी हो, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसी भूमि, भवन, दीवाल विज्ञापन–फलक (hoarding) या ढांचे के, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन लगाया, प्रदर्शित किया, चिपकाया या रखा गया हो, स्वामी या अध्यासी को लिखित नोटिस देकर यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे विज्ञापन को उतार ले या हटा दे अथवा वह किसी भवन ; भूमि या संपति में प्रवेश कर सकता है और विज्ञापन को हटवा सकता है।

१६७. प्रेक्षागृह कर से मुक्ति (exemptions from theatre tax)—निम्नलिखित के विषय में प्रेक्षागृह–कर नहीं लगाया जा सकेगा—

(क) कोई मनोरंजन (entertainment) अथवा आमोद–प्रमोद (amusement), जिसमें प्रवेश के लिए कोई शुल्क न लिया जाता हो अथवा केवल नाममात्र (nominal) शुल्क लिया जाता हो ;

(ख) कोई मनोरंजन (entertainment) अथवा आमोद–प्रमोद (amusement) जो सर्वसाधारण के लिए शुल्क पर उपलब्ध न हो ;

(ग) कोई मनोरंजन अथवा आमोद–प्रमोद, जिसकी सम्पूर्ण आय बिना व्यय काटे हुए किसी सार्वजनिक दानोत्तर प्रयोजन (charitable purpose) के लिए व्यय की जाने वाली हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए नाममात्र शुल्क (nominal charge) वह शुल्क होगा जो नियमों द्वारा निश्चित किया जाय।

टिप्पणियाँ

प्रेक्षागृह–कर—उ०प्र० मनोरंजन तथा दाँवबाजी अधिनियम के उपबन्धों के कारण दोहरे कर का सिद्धान्त लागू नहीं होगा। यह कर इस कारण अविधिमान्य नहीं हो सकता। [*निरंजनलाल भार्गव* बनाम *उ०प्र० राज्य,* १९६६ ए०एल०जे० २६३]। इस पद की परिभाषा में हर प्रकार के आमोद–प्रमोद तथा मनोरंजन आते हैं, चाहे वह किसी भवन के भीतर किये जायँ, अथवा इसके बाहर किये जायँ [१९६६ ए०एल०जे० १६२] गलत नाम का संवरण करने अथवा अधिनियम में व्यापक भाषा का प्रयोग किये जाने मात्र से शक्ति का प्रयोग तब तक अविधिमान्य नहीं हो सकता जब तक कि आच्छादित विषय पर कानून बनाने की शक्ति बनी रहती है।

कर की विधिमान्यता —किसी वस्तु का हर प्रकार का करारोपण, चाहे उसका सम्पादन मंच पर सीधे किया जाय अथवा इसका सम्पादन फिल्मों द्वारा पर्दे पर किया जाय, तथा निःसंदेह रूप से हर प्रकार का मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद संविधान द्वारा प्रदत्त राज्य की करारोपण की शक्ति की परिधि के अन्तर्गत आता है। [*निरंजन लाल भार्गव* बनाम *उ०प्र० राज्य,* १९६६ ए०एल०जे० ३२५ पृष्ठ ३०३]।

१६८. चुंगी की सीमाएँ निश्चित करने का अधिकार—ख३०,[* * *]

करों का आरोपण

१६९. प्रारम्भिक प्रस्थापनाओं (proposals) का तैयार किया जाना—ख३१,[निगम] धारा १७२ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट कोई कर आरोपित करना चाहे तो वह संकल्प द्वारा कार्यकारिणी समिति को प्रस्थापनाएँ तैयार करने का आदेश देगी जिसमें निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट होंगी—

(क) कर, जो धारा १७२ की उपधारा (२) में उल्लिखित करों में से हों, जिसे वह आरोपित करना चाहती है ;

(ख) व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग, जिनको उक्त कर देने के लिये उत्तरदायी ठहराया जाना तथा सम्पत्ति का अथवा अन्य वस्तु अथवा विभव (circumstances) जिस पर कर लगाया जा सकता हो, का विवरण, जिसके सम्बन्ध में उन्हें उत्तरदायी बनाया जायगा, सिवाय वहाँ और उस सीमा तक जहाँ इस अधिनियम द्वारा अथवा खंड (क) के अधीन पहले ही किसी वर्ग का विवरण (description) की परिभाषा पर्याप्त रूप से कर दी गयी हो ;

(ग) धनराशि अथवा दर, जो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से वसूल की जाने वाली हो ;

(घ) धारा २१६ में निर्दिष्ट अन्य कोई विषय, जिसे राज्य सरकार नियम द्वारा निर्दिष्ट करने का आदेश दें।

(२) उपधारा (१) के अधीन संकल्प के पारित हो जाने पर कार्यकारिणी समिति प्रस्थापनाएँ तैयार करेगी और उन नियमों का पांडुलेख (draft) भी तैयार करेगी, जिन्हें वह धारा २१६ में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बनवाना चाहती हो।

(३) तत्पश्चात् कार्यकारिणी समिति उपधारा (१) के अधीन तैयार की गयी प्रस्थापनाओं और उपधारा (२) के अधीन तैयार किये गये नियमों को पांडुलेख तथा साथ में नियम द्वारा विहित किये जाने वाले प्रपत्र (form) में एक नोटिस, नियम द्वारा विहित रीत्यानुसार प्रकाशित करायेगी।

२००. प्रस्थापनाएँ तैयार करने के पश्चात् की प्रक्रिया—(१) उक्त नोटिस के प्रकाशन के दो सप्ताह के भीतर नगर का कोई भी निवासी [ख३२,][निगम] की पूर्ववर्ती धारा के अधीन बनाये गये किसी एक या सभी प्रस्थानाओं के सम्बन्ध में अपनी लिखित आपत्ति भेज सकता है और इस प्रकार भेजी गयी किसी भी आपत्ति पर [१][निगम] विचार करेगी और विशेष संकल्प द्वारा उस पर आज्ञा देगी।

(२) यदि [१][निगम] परिष्कृत करने का निश्चय करे, तो मुख्य नगराधिकारी परिष्कृत प्रस्थापनाओं के, और यदि आवश्यक हो, नियमों के संशोधित पांडुलेख को प्रकाशित करेगा, और इसके साथ ही इस आशय का एक नोटिस भी प्रकाशित करेगा कि उक्त प्रस्थापना और नियम (यदि कोई हो) आपत्ति के निमित्त पूर्व प्रकाशित प्रस्थापनाओं और नियमों के परिष्कृत रूप हैं।

(३) परिष्कृत प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में जो आपत्तियाँ प्राप्त होंगी उन पर उपधारा (१) में विहित रीति के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

(४) जब [१][निगम] अपनी प्रस्थापनाओं को अन्तिम रूप से निश्चित कर ले तो मुख्य नगराधिकारी उन्हें इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई आपत्तियों (यदि कोई हों), सहित राज्य सरकार के पास भेज देगी।

२०१. प्रस्थापनाओं की स्वीकृति, अस्वीकृति अथवा परिष्कृत करने का राज्य सरकार का अधिकार—पूववर्ती धारा के अधीन प्रस्थापनायें और आपत्तियाँ प्राप्त होने पर, राज्य सरकार उन पर स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है, अथवा उन्हें [१][निगम] के पास अतिरिक्त विचार हेतु भेज सकती है अथवा उन्हें बिना किसी परिष्कार के अथवा ऐसे परिष्कार के साथ जिससे आरोपित की जाने वाली धनराशि में वृद्धि न हो, जैसा कि उसे उचित प्रतीत हो, स्वीकार कर सकती है।

२०२. कर–आरोपण का आदेश देने के हेतु [१][निगम] का संकल्प—(१) राज्य सरकार द्वारा प्रस्थापनाएँ स्वीकृत कर ली जाने पर, राज्य सरकार, [१][निगम] द्वारा प्रस्तुत नियमों के पाँडुलेख पर विचार करने के पश्चात् कर के सम्बन्ध में ऐसे नियम बनाने के लिये कार्यवाही करेगी जिसे वह तत्समय आवश्यक समझे।

(२) नियम बन जाने पर स्वीकृति की आज्ञा तथा नियमों ख३३[निगम] के पास भेज दी जायगी और तदुपरान्त [1][निगम] विशेष संकल्प द्वारा उस दिनांक से जो संकल्प में निर्दिष्ट किया जायगा, कर के आरोपण का आदेश देगा।

२०३. कर का आरोपण—(१) धारा २०२ के अधीन पारित संकल्प की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जायगी।

(२) संकल्प की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर राज्य सरकार किसी निश्चित दिनांक से कर का आरोपण सरकारी गजट में विज्ञापित करेगी और सभी दशाओं में इस प्रकार विज्ञापित किये जाने की शर्त के अधीन हो कोई कर आरोपित किया जा सकेगा।

(३) उपधारा (२) के अधीन कर के आरोपण की विज्ञप्ति इस बात का निश्चायक प्रमाण होगी कि कर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आरोपित किया गया है।

२०४. करों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया (procedure)—किसी कर को हटाने अथवा धारा १६ की उपधारा (१) के खंड (ख) तथा (ग) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में किसी कर को परिवर्तित करने की प्रक्रिया, जहाँ तक संभव हो, वही होगी जो धारा १६६ से लेकर २०२ में कर के आरोपण के लिये विहित है।

२०५. राज्य सरकार का किसी कर को कम करने अथवा समाप्त कर देने का अधिकार—(१) जब कभी राज्य सरकार को शिकायत किये जाने पर या अन्यथा प्रतीत हो कि किसी कर को उगाहना सार्वजनिक हितों के विरुद्ध है या यह कि कोई कर अपने भार में (incidence) उचित नहीं है, तो राज्य सरकार सम्बद्ध [1][निगम] के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् आज्ञा द्वारा उस [1][निगम] को यह आदेश दे सकती है कि वह उस अवधि के भीतर, जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट होगी, ऐसी किसी भी त्रुटि (defect) को दूर करने का उपाय करे, जो राज्य सरकार के विचार में उस कर में अथवा उसके निर्धारण या वसूली की पद्धति से विद्यमान है।

(२) यदि [1][निगम] राज्य सरकार के संतोषानुसार उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश का पालन न कर सके या पालन करने में असमर्थ रहे तो राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा कर की अथवा उसके किसी अंश की उगाही उस समय तक निलम्बित कर सकती है, जब तक कि त्रुटि न कर दी जाय अथवा कर को समाप्त या कम कर सकती है।

२०६. [1][निगम] को कर–आरोपण का आदेश देने का राज्य सरकार का अधिकार—(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा [1][निगम] को आदेश दे सकती है कि वह धारा १७२ की उपधारा (२) में उल्लिखित कोई ऐसा कर, जो आरोपित न किया गया हो, ऐसी दर से और ऐसी अवधि के भीतर, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाय, आरोपित करे और तत्पश्चात् [1][निगम] तदनुसार कार्य करेगा।

(२) राज्य सरकार [1][निगम] को किसी आरोपित किये गये कर की दर को बढ़ाने, परिष्कृत करने अथवा परिवर्तित करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त [1][निगम] कर को आदेशानुसार बढ़ायेगा, परिष्कृत करेगा अथवा परिवर्तित कर देगा।

(३) यदि [1][निगम] उपधारा (१) अथवा (२) के अधीन दिये गये आदेश का पालन न कर सके तो राज्य सरकार कर को आरोपित करने, बढ़ाने, परिष्कृत करने अथवा परिवर्तित करने के लिये उपयुक्त आज्ञा दे सकती है और तदुपरान्त राज्य सरकार की आज्ञा उसी प्रकार प्रवर्तन में आयेगी मानो वह [1][निगम] द्वारा यथावत् पारित संकल्प हो।

सम्पत्ति करों का निर्धारण और लगाया जाना

२०७. निर्धारण—सूची का तैयार किया जाना—मुख्य नगराधिकारी ख३४[समय—समय पर नगर या उसके किसी भाग के] सभी भवनों या भूमियों अथवा दोनों की निर्धारण सूची तैयार करायेगा, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होगा—

(क) सड़क या मोहल्ले का नाम, जिसमें सम्पति स्थित हो ;

(ख) सम्पत्ति का नाम (designation), या तो नाम से अथवा संख्या से जो पहचान के लिये पर्याप्त हो ;

(ग) स्वामी और अध्यासी के, यदि ज्ञात हों, नाम ;

(घ) वार्षिक किराये का मूल्य अथवा वार्षिक मूल्य निर्धारित करने वाले अन्य वितरण ; तथा

(ङ) उन पर निर्धारित की गई कर की धनराशि।

ख३५[**२०७—क. स्व—निर्धारित सम्पत्ति कर जमा करने का विकल्प—**इस अधिनियम में किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी, किसी आवासिक भवन का स्वामी, या अध्यासी जो ऐसे भवन के संबंध में कर का भुगतान करने के लिये मुख्यतः दायी हो ; अपने द्वारा देय सम्पत्ति कर की धनराशि से संबंधित अपने दायित्व का निर्धारण प्रत्येक वर्ष स्वयं कर सकता है और ऐसा करने में वह धारा १७४ के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसार भवन का वार्षिक मूल्य स्वयं अवधारित कर सकता है और अपने द्वारा इस प्रकार निर्धारित कर को ऐसी रीति से ऐसे प्रपत्र, ऐसे स्व—निर्धारण विवरण के साथ, जैसा विहित किया जाये, जमा कर सकता है।]

२०८. सूची का प्रकाशन—ख३६[जब सम्पूर्ण नगर या ख३७[उसके किसी भाग] के लिए निर्धारण सूची, जिसमें धारा २०७ के खण्ड (क) से (ङ) तक के ब्यौरे दिये गये हों, तैयार हो जायें तब] मुख्य नगराधिकारी उस स्थान के सम्बन्ध में सार्वजनिक नोटिस देगा जहाँ पर उक्त सूची अथवा उसकी प्रतिलिपि का निरीक्षण किया जा सकेगा और [3][उक्त सूची] सम्पत्ति का स्वामी अथवा अध्यासी होने का दावा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति और उसका अभिकर्ता [3][उक्त सूची] का निरीक्षण कर सकेगा और बिना कोई शुल्क दिये उससे अवतरण (extract) भी ले सकेगा।

२०८. सूची की प्रविष्टियों पर आपत्तियाँ—(१) साथ ही मुख्य नगराधिकारी इसके कम से कम एक मास पश्चात् ऐसे दिनांक का सार्वजनिक नोटिस देगा जबकि कार्यकारिणी समिति [3][धारा २०८ में उल्लिखित सूची में दर्ज] मूल्यांकनों तथा निर्धारणों (valuations and assessments) पर विचार प्रारम्भ करेगी और ऐसे सभी मामलों में, जिनमें किसी सम्पत्ति पर प्रथम बार निर्धारण किया गया हो, अथवा उसके निर्धारण में वृद्धि की गई हो, वह ऐसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा अध्यासी को भी, यदि ज्ञात हों, उसका नोटिस देगी।

(२) मूल्यांकन (valuation) तथा निर्धारण के सम्बन्ध में सभी आपत्तियाँ नोटिस में निश्चित किये गये दिनांक से पूर्व, मुख्य नगराधिकारी के पास लिखित प्रार्थना—पत्र के रूप में की जायेंगी, जिसमें उन कारणों का उल्लेख किया जायेगा जिनके आधार पर मूल्यांकन तथा निर्धारण पर आपत्ति की गयी हो और इस प्रकार दिये गये समस्त प्रार्थना—पत्रों का पंजीयन (registration) मुख्य नगराधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिये रखी गयी पंजी (book) में किया जायेगा।

(३) कार्यकारिणी समिति, अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा एतदर्थ नियुक्त की गई उपसमिति, प्रार्थी को स्वयं या उसके अभिकर्ता द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्—

(क) आपत्तियों का अनुसंधान और निबटारा करेगी ;

(ख) उपधारा (२) के अधीन रखी गयी पंजी में उपर्युक्त जाँच का परिणाम लिखवायेगी ; और

(ग) ऐसे परिणाम के अनुसार निर्धारण–सूची में आवश्यक संशोधन करायेगी।

२१०. सूची का प्रमाणीकरण और उसकी अभिरक्षा—[ख३८][(१) नगर या उसके किसी भाग के लिए, जैसी भी दशा हो, सूची से सम्बन्धित आपत्तियों का निबटारा हो जाने के पश्चात् [ख३९][कार्यकारिणी] समिति या सम्बन्धित उप–समिति, यदि कोई हो, का सभापति उक्त सूची को और धारा २०६ की उपधारा (३) के अधीन उसमें किये गये सभी संशोधन को भी अपने हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत करेगा।]

(२) इस प्रकार प्रमाणीकृत प्रत्येक सूची [ख४०][निगम] के कार्यालय में जमा कर दी जायेगी।

(३) जब सम्पूर्ण नगर की सूची इस प्रकार जमा कर दी जाये तब यह सार्वजनिक नोटिस द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध घोषित कर दी जायेगी।

२११. सूची का पुनरीक्षण तथा उसकी अवधि—(१) प्रत्येक [ख४१][दो वर्ष] में एक बार धारा २०७ से २१० तक में विहित रीति के अनुसार साधारणतया एक नयी निर्धारण सूची तैयार की जायेगी।

(२) धारा २१३ के अधीन किये गये किसी परिवर्तन अथवा संशोधन तथा धारा ४७२ के अधीन की गई अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए मूल्यांकन सूची में दर्ज प्रत्येक मूल्यांकन (valuation) तथा निर्धारण [ख४२][नगर या उसके भाग में उस सूची के प्रभावी होने के दिनांक से और नई सूची के ठीक पश्चात् आगामी मास के प्रथम दिन तक] वैध रहेगा।

[ख४३][किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी विधि न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय के परिणामस्वरूप नयी निर्धारण सूची या उसका कोई भाग प्रभावी न हो सकता हो तो ऐसे आदेश या निर्णय के अधीन रहते हुए पुरानी निर्धारण सूची या उसका तद्नुरूप भाग प्रभावी बना रहा समझा जायेगा।]

२१२. सूची की प्रविष्टियों (entries) का निश्चयात्मक होना—निर्धारण सूची में की गई कोई प्रविष्टि—

(क) उक्त सूची में सम्बन्ध रखने वाले कर से सम्बद्ध किसी प्रयोजन के निमित्त उस धनराशि के लिये, जो सूची से सम्बद्ध कालावधि में किसी भवन या भूमि के सम्बन्ध में लगायी जा सकती हो ; और

(ख) किसी अन्य [3][निगम] कर के निर्धारण के प्रयोजन के निमित्त उक्त कालावधि में किसी भवन अथवा भूमि के वार्षिक मूल्य के लिये निश्चायक प्रमाण होगी।

२१३. सूची में संशोधन तथा परिवर्तन—(१) कार्यकारिणी समिति अथवा एतदर्थ नियुक्त की गई उसकी कोई उप–समिति किसी भी समय निम्न प्रकार से निर्धारण–सूची में संशोधन अथवा परिवर्तन कर सकती है—

(क) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति अथवा सम्पत्ति के नाम की, जिसकी प्रविष्टि होनी चाहिये थी अथवा किसी ऐसी सम्पत्ति की, जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकरण के पश्चात् कर–आरोपण के योग्य हो गयी हो, प्रविष्ट करके ; या

(ख) उसमें किसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा अध्यासी के नाम के स्थान पर किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि करके जिसे हस्तान्तरण (transfer) अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा अध्यासन का उत्तराधिकार प्राप्त हो गया हो ;

(ग) किसी ऐसे सम्पत्ति के मूल्यांकन अथवा निर्धारण में वृद्धि करके, जिसका ख४४[मूल्यांकन या निर्धारण गलत हो गया है या जिसका मूल्यांकन या निर्धारण छल, भ्रान्त कथन या त्रुटियों के कारण गलत किया गया है।]

(घ) किसी ऐसी सम्पत्ति का फिर से मूल्यांकन अथवा निर्धारण करके, जिसका मूल्य भवन में किये गये परिवर्द्धनों अथवा परिवर्तनों के कारण बढ़ गया हो ; अथवा

(ङ) जब [१][इस अधिनियम के उपबन्धों] के अधीन उस वार्षिक मूल्य का जिस पर कोई कर लगाया जाने वाला हो, प्रतिशत ख४५[निगम] द्वारा परिवर्तित कर दिया गया हो तो प्रत्येक मामले में देय कर की धनराशि में तदनुरूप (corresponding) परिवर्तन करके ;

(च) स्वामी का प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर, या इस बात पर सन्तोषजनक साक्ष्य मिलने पर कि स्वामी का पता नहीं है (is untraceable) और साथ ही साथ कमी करने की आवश्यकता सिद्ध हो गयी है, स्वतः किसी ऐसे भवन के मूल्यांकन में कमी करके जो पूर्णतः या अंशतः गिरा दिया गया हो अथवा नष्ट कर दिया गया हो ; अथवा

(छ) किसी लिपि संबंधी गणना की (clerical, arithmetical) या अन्य प्रत्यक्ष भूल को ठीक करके :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यथास्थिति कार्यकारिणी समिति या उप–समिति स्वत्व रखने वाले (interested) किसी व्यक्ति को उपधारा (१) के खंड (क), (ख), (ग) अथवा (घ) के अधीन कार्यकारिणी समिति या उपसमिति द्वारा प्रस्तावित किसी परिवर्तन ख४६[या संशोधन] का और उस दिनांक का, जिस पर परिवर्तन [3][या संशोधन] किया जायगा, कम से कम एक महीने की नोटिस देगी।

ख४७[(१–क) सन्देहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह आवश्यक न होगा कि धारा १४८ के अधीन कर की दर निर्धारित करने के परिणामस्वरूप उपधारा (१) के खंड (ङ) के अधीन किये गये परिवर्तन के संबंध में धारा १९९ से २०३ या धारा २०७ से २१० तक में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा।]

(२) धारा २०६ की उपधारा (२) तथा (३) के उपबन्ध जो उनमें उल्लिखित आपत्तियों पर लागू होते हों, ख४८[यथासंभव उपधारा (१) के प्रबन्धात्मक खंड के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस के अनुसरण में] की गयी किसी आपत्ति पर तथा उपधारा (१) के खंड (च) के अधीन दिये गये किसी प्रार्थना–पत्र पर भी लागू होंगे।

(३) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक परिवर्तन [3][या संशोधन] धारा २१० द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्ताक्षरों द्वारा प्रमाणीकृत किया जायगा और धारा ४७२ के अधीन की गई अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए उस दिनांक से प्रभावी होगा, जिस पर अगली किस्त देय हो।

२१४. संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने का आभार—जब कोई भवन निर्मित या पुनर्निर्मित किया जाय अथवा उसका विस्तार किया जाय तो स्वामी उक्त भवन के निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा विस्तार की समाप्ति के दिनांक से अथवा उक्त भवन के अध्यासन के दिनांक से, जो भी दिनांक के पहले पड़े, १५ दिन के भीतर उसका नोटिस मुख्य नगराधिकारी को देगा।

२१५. पुनः अध्यासन की नोटिस देने का आभार—किसी ऐसी भूमि अथवा भवन का, जिसके लिये धारा १७८ के अधीन कर में छूट दी जा चुकी हो अथवा कर लौटाया जा चुका हो, स्वामी ऐसे भवन या भूमि में पुनः अध्यासित होने के १५ दिन के भीतर ऐसे पुनः अध्यासन का नोटिस देगा।

२१६. करों का संहृत किया जाना (consolidation)—धारा १७३ में वर्णित सम्पत्ति करों के निर्धारण (assessing), लगाये जाने (levying) अथवा उगाही (collection) के प्रयोजनों के लिये, किन्तु आरोपण (imposing) अथवा मुक्ति (exemption) के प्रयोजन के लिये नहीं [ख४६,][निगम] ऐसे किन्हीं दो अथवा अधिक करों को संहत (consolidate) कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संहत कर से सम्बद्ध किसी पंजी अथवा निर्धारण सूची में जो किसी व्यक्ति के निर्धारण सूची के अधीन उसके दायित्व की सूचना देने अथवा धारा १७५ अथवा १७६ के उपबन्धों का पालन करवाने के लिये प्रयोग में लायी जाती हो, मु ख्य नगराधिकारी संहत कर को उसमें समाविष्ट विभिन्न करों में संविभाजित (apportion), करेगा, जिससे प्रत्येक कर के अधीन निर्धारित की गयी अथवा उगाही गयी (assessed or collected) आसन्न धनराशि अलग—अलग दिखायी जा सके।

२१७. छूट (exemption) के कारण कमी (deduction)—(१) किसी संहत कर (consolidated) का निर्धारण करते समय उसमें समाविष्ट किसी एकल (any single tax) में अंशतः अथवा पूर्णतः दी गई छूट (exemption) को कार्यान्वित किया जायगा।

(२) उक्त कार्यान्वयन निम्न प्रकार से होगा—

(क) आंशिक छूट (partial exemption) की दशा में संहत—कर जो अन्यथा किसी ऐसे भवनों, भूमियों अथवा दोनों, जिस पर छूट लागू होती हो, के संबंध में लगाये जाने अथवा निर्धारित किये जानो योग्य (leviable or assessable) होता, की कुल धनराशि में से ऐसी धनराशि की, जो एकल कर (single tax) के कारण अन्यथा निर्धारित की गयी होती, छूट के समनुरूप (corresponding) आनुपातिक भाग (proportionate) को कम करके ; और

(ख) पूर्ण छूट (total exemption) की दशा में, उक्त कुल धनराशि में, एकल कर के कारण निर्धारित धनराशि को कम करके।

२१८. ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सरसरी कार्यवाहियाँ जो नगर छोड़ कर जाने ही वाले हों—(१) यदि इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन वसूल करने योग्य कोई धनराशि किसी व्यक्ति से देय (due) हो गई हो अथवा देय होने वाली हो, और यदि मुख्य नगराधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि उक्त व्यक्ति नगर की सीमाओं को छोड़ने ही वाला है, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे व्यक्ति को उक्त धनराशि तुरन्त ही अदा करने का आदेश दे सकता है और इसके लिये उसके पास प्राप्यक (bill) भिजवा सकता है।

(२) यदि ऐसा प्राप्यक (bill) प्रस्तुत किये जाने पर, उक्त व्यक्ति तुरन्त ही उक्त धनराशि नहीं अदा कर देता अथवा मुख्य नगराधिकारी के संतोषनुसार प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं करता तो उक्त धनराशि अध्याय २१ में निर्दिष्ट रीति के अनुसार उसकी चल—संपत्ति के अभिहरण (distress) और बिक्री द्वारा अथवा उसकी अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूल की जायगी, परन्तु अपवाद है कि उसके ऊपर माँग की नोटिस (notice of demands) तामील करना आवश्यक न होगा, और मुख्य नगराधिकारी द्वारा अभिहरण की बिक्री की अवधि (warrants of distress and sale) अविलम्ब जारी और निष्पादित किया जा सकता है।

अन्य विषय

२१९. निर्धारण, उगाही तथा अन्य विषय के संबंध में नियम—निम्नलिखित विषय नियमों द्वारा विनियमित तथा नियमित (governed) होंगे, सिवाय उस सीमा तक जहाँ तक कि उनके संबंध में इस अधिनियम में व्यवस्था की गई हो—

(क) करों का निर्धारण, उगाही अथवा संधान (assessment, collection or composition) [ख्५०][* * *]

(ख) करों से बचने की रोकथाम ;

(ग) प्रणाली, जिसके अनुसार धनराशि की वापसी (refund) स्वीकृत की जायेगी और उसका भुगतान किया जायेगा ;

(घ) किसी कर के कारण भुगतान माँगने की नोटिस (notice demanding payment) तथा अभिहरण के अधिपत्रों (warrant of distress) के निष्पादन के लिये शुल्क ;

(ङ) अभिहरित पशुधन के संधारण के लिये ली जाने वाली धनराशि की दरें ;

(च) करों से सम्बद्ध अन्य कोई विषय, जिसके संबंध में इस अधिनियम में व्यवस्था न की गयी हो अथवा अपर्याप्त व्यवस्था की गयी हो और राज्य सरकार की राय में ऐसी व्यवस्था आवश्यक हो।

२२०. अभिसंधान (composition)—(१) किसी नियम के उपबन्ध के अधीन रहते हुए [ख्५१][निगम] राज्य सरकार द्वारा पुष्टीकृत (confirmed) किसी विशेष संकल्प द्वारा यह व्यवस्था कर सकती है कि किन्हीं या सभी व्यक्तियों को किसी कर के निमित्त अभिसंधान करने (composition) की अनुज्ञा दी जा सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी कर के अभिसंधान (composition) के कारण देय कोई धनराशि अध्याय २१ में व्यवस्थित रीति के अनुसार वसूल की जा सकेगी।

२२१. छूट (exemption)—(१) [२][निगम] किसी ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर या उसके किसी अंश की अदायगी से मुक्त कर सकता है, जो उसकी राय में निर्धनता के कारण उसकी अदायगी करने में असमर्थ हो और ऐसी छूट (exemption) का जितनी भी बार वह आवश्यक समझे, नवीकरण कर सकता है।

(२) [२][निगम] राज्य सरकार द्वारा पुष्टीकृत किसी विशेष संकल्प द्वारा, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को अथवा किसी संपत्ति अथवा संपत्ति के प्रकार को इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर या उसके किसी अंश की अदायगी से मुक्त कर सकता है।

(३) राज्य सरकार आज्ञा द्वारा [ख्५२][ऐसी अवधि के लिये जैसा आज्ञा में विनिर्दिष्ट किया जाये] किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग की अथवा किसी सम्पत्ति या उसके प्रकार को इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर या उसके अंश की अदायगी से मुक्त कर सकती है।

[ख्५३][**२२१—क. स्वामी या अध्यासी द्वारा देय ब्याज**—(१) जहां किसी भू—गृहादि के संबंध में कर के भुगतान के लिये मुख्यता दायी स्वामी या अध्यासी ने निगम द्वारा इस निमित्त निर्धारित दिनांक तक इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा देय कर या उसके किसी अंश का भुगतान न किया हो, वहां उसके द्वारा उस धनराशि पर जो असंदत्त रह गयी हो, १२ प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कर के भुगतान के लिए निधारित दिनांक से भुगतान के दिनांक तक देय होगा।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां किसी भू—गृहादि के स्वामी या अध्यासी ने अपने स्वयं के कर निर्धारण के आधार पर धारा २०७—क के अधीन कर का भुगतान कर दिया है और इस प्रकार भुगतान किया गया कर उसके द्वारा देय कर की धनराशि से निगम द्वारा कम पाया जाता है तो उसके द्वारा कर को ऐसी धनराशि पर जितनी देय कर से कम भुगतान की गई हो बारह प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कर के भुगतान के लिए निगम द्वारा निर्धारित दिनांक से ऐसे अन्तर की धनराशि के भुगतान के दिनांक तक देय होगा।

ख५४.[२२१–ख. **कारपेट एरिया और क्षेत्रफल का विवरण**—(१) किसी भू–गृहादि के संबंध में कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी प्रत्येक स्वामी या अध्यासी, यथास्थिति, भवन के कारपेट एरिया के संबंध में या भूमि के क्षेत्रफल के संबंध में एक विवरण ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो इस निमित्त विहित किया जाये, निगम को प्रस्तुत करेगा।

(२) यदि इस निमित्त, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, की गई जांच से निगम का यह समाधान हो जाये कि उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत किया गया विवरण, तथ्यात्मक रूप से असत्य है, क्योंकि यथास्थिति भवन के कारपेट एरिया के किसी भाग या भूमि के क्षेत्रफल के किसी भाग को छिपाया गया है, तो निगम व्यतिक्रमी पर, ऐसी रीति से, जो इस निमित्त विहित की जाये, एक हजार रुपये से अनधिक की शास्ति आरोपित कर सकता है।]

२२२. दायित्व प्रकट करने का आभार—ख५५.[निगम] लिखित–पत्र (communication) द्वारा नगर के किसी निवासी को ऐसी सूचना देने का आदेश दे सकता है जो निम्नलिखित किसी बात को निश्चित रूप से मालूम करने के लिये आवश्यक हो—

(क) क्या उक्त निवासी पर इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर को अदा करने का दायित्व है ;

(ख) उस पर कितना कर निर्धारित किया जाना चाहिये,

(ग) उस भवन अथवा भूमि का वार्षिक मूल्य, जो उसके अध्यासन में हो और उसके स्वामी का नाम तथा पता।

(२) यदि कोई निवासी, जिसे इस प्रकार सूचना देने का आदेश दिया गया हो, उक्त सूचना नहीं देता अथवा ऐसी सूचना देता है जो असत्य हो तो दोषसिद्ध होने पर उस पर जुर्माना किया जा सकता है, जो ५०० रुपये तक हो सकता है।

२२३. खोज (discovery) करने के अधिकार—मुख्य नगराधिकारी अथवा [2][निगम] के एतदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी या सेवक मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिये किसी भवन में प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण तथा उसकी नाप (measure) कर सकता है अथवा किसी अस्तबल या वाहनगृह (coach house) अथवा ऐसे अन्य स्थान में, जहाँ उसको यह विश्वास करने का कारण हो कि वहाँ कोई ऐसा वाहन अथवा पशु है जिस पर उस अधिनियम के अधीन कर लगाया जा सकता है, प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है और ऐसे निरीक्षणों पर धारा ५६०, ५६२ तथा ५६३ के उपबन्ध लागू होंगे।

२२४. अपवाद (Saving)—कोई निर्धारण सूची या अन्य सूची, नोटिस, प्राप्यक (bill) या इसी प्रकार का अन्य कोई लेख्य (document), जिसमें किसी कर, व्यय (charge), किराया या शुल्क के संबंध में किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, वस्तु या विभव (persons, property, thing or circumstances) का निर्देश किया गया हो, अथवा जिसमें ऐसा करना अभिप्रेत हो, केवल इसी कारण से अवैध न माना जायेगा कि उसमें उक्त व्यक्ति के नाम, निवास–स्थान, व्यापार के स्थान अथवा धंधे (occupation) में अथवा सम्पत्ति, वस्तु या विभाग के विवरण के संबंध में कोई गलती है, अथवा केवल लिपि संबंधी भूल (clerical error) अथवा इसके प्रपत्र (form) में कोई त्रुटि रह गयी है और अभिज्ञान (identification) के प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, वस्तु या विभव का पर्याप्त वर्णन कर दिया जाना ही यथेष्ट होगा तथा किसी कर की देनदारी के संबंध में किसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा अध्यासी का नाम दिया जाना आवश्यक न होगा।

अनुपूरक कर

२२५. अनुपूरक कर (supplementary taxation) लगाने के रूप में इस अधिनियम के अधीन आरोपित किये जा सकने वाले योग्य किसी कर में वृद्धि की जा सकती है अथवा उसे नये रूप से लगाया जा सकता है—जब कभी किसी वित्तीय वर्ष में [2][निगम] अनुपूरक कर लगाने का निश्चय करे तो वह, इस अधिनियम में अथवा राज्य सरकार की आज्ञाओं अथवा स्वीकृति (sanction) में ऐसे कर के

लिये विहित सीमा अथवा शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त वर्ष की अव्यतीत अवधि के लिये ऐसे कर की दरों में, जो इस अधिनियम के अधीन आरोपित किया जा सकता हो, वृद्धि करके, अथवा इस अधिनियम के अधीन आरोपित किये जा सकने वाले कर को, जो तत्समय न लगाया जा रहा हो, यथावत् स्वीकृति से लगाकर, ऐसा कर सकता है।

२२६. कर संबंधी विषयों में दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का निषेध—इस अधिनियम में व्यवस्थित रीति तथा प्राधिकार के अतिरिक्त किसी अन्य रीति से तथा अन्य प्राधिकारी के सम्मुख किसी मूल्यांकन अथवा निर्धारण पर कोई आक्षेप न किया जायेगा और न उस व्यक्ति को, जिस पर निर्धारित किया जाने वाला हो या कर लगाया जाने वाला हो, देनदारी पर कोई प्रश्न किया जायेगा।

२२७. नियम बनाने का अधिकार—(१) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) धारा २१६ में निर्दिष्ट विषय ;

(ख) वाहन, नाव तथा पशुओं पर करों से सम्बद्ध पंजी (register) का संधारण तथा निरीक्षण ;

(ग) [ख५६.][* * *]

(घ) [१][* * *]

(ङ) करों का अग्रिम भुगतान ;

(च) अभिहरण (distress) और कुर्की (attachment) के विरुद्ध की गयी आपत्तियों का सरसरी निस्तारण (summary disposal) ;

(छ) शर्तें, जिनके अधीन करों की छूट तथा वापसी स्वीकृत की जायेगी।

————

ख१,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख२,. उ०प्र० अधिनियम सं० ६ सन् १९६१ द्वारा खण्ड (ख), (ग) एवं (घ) निकाला गया
ख३,. उ०प्र० अधिनियम सं० ६ सन् १९६१ द्वारा खण्ड (ञ) निकाला गया
ख४,. उ०प्र० अधिनियम सं० ६ सन् १९६१ द्वारा ''प्रतिबन्धात्मक खण्ड' निकाला गया
ख५,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख६,. उ०प्र० अधिनियम सं० १७ सन् १९६६ द्वारा प्रतिस्थापित
ख७,. उ०प्र० अधिनियम सं० १७ सन् १९६६ द्वारा प्रतिस्थापित
ख८,. उ०प्र० अधिनियम सं० १७ सन् १९६६ द्वारा धारा १७४ को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।
ख९,- उ०प्र० अधिनियम सं० ३ सन् १९८७ द्वारा प्रतिस्थापित

ख१०,. उ०प्र० अधिनियम सं० १७ सन् १९६६ द्वारा उपधारा (२) अन्तःस्थापित
ख११,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा अन्तःस्थापित
ख१२,. उ०प्र० अधिनियम सं० १० सन् १९७३ द्वारा प्रतिस्थापित
ख१३,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख१४,. उ०प्र० अधिनियम संख्या १७ सन् १९६६ द्वारा प्रतिस्थापित
ख१५,. उ०प्र० अधिनियम संख्या १० सन् १९७८ द्वारा प्रतिस्थापित
ख१६,. उ०प्र० अधिनियम संख्या ३५ सन् १९७८ द्वारा बढ़ाया गया
ख१७,. उ०प्र० अधिनियम संख्या १२ सन् १९६४ द्वारा शब्द ''महापालिका'' के स्थान पर प्रतिस्थापित
ख१८,. उ०प्र० अधिनियम संख्या १७ सन् १९६६ द्वारा शब्द ''और'' निकाला गया
ख१९,. उ०प्र० अधिनियम संख्या १७ सन् १९६६ द्वारा अन्तःस्थापित
ख२०,. उ०प्र० अधिनियम संख्या १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख२१,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख२२,. उ०प्र० अधिनियम सं० १७ सन् १९६६ द्वारा अन्तःस्थापित

ख२३,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख२४,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख२५,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख२६,. उ०प्र० अधिनियम सं० २६ सन् १९६६ की धारा ७ द्वारा प्रतिस्थापित
ख२७,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख२८,. उ०प्र० अधिनियम सं० २३ सन् १९६१ द्वारा प्रतिस्थापित
ख२९,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख३०,. उ०प्र० अधिनियम सं० ६ सन् १९६१ द्वारा निकाल दी गयी
ख३१,- उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख३२,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख३३,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख३४,. उ०प्र० अधिनियम सं ३ सन् १९८७ द्वारा शब्द ''नगर के'' के स्थान पर रखा गया
ख३५,. उ०प्र० अधिनियम सं १७ सन् १९६६ द्वारा अन्तःस्थापित
ख३६,. उ०प्र० अधिनियम संख्या ८ सन् १९७० द्वारा रखा गया
ख३७,. उ०प्र० अधिनियम सं ३ सन् १९८७ द्वारा शब्द ''उसके किसी कक्ष'' के स्थान पर रखा गया

ख३८,. उ०प्र० अधिनियम सं० ८ सन् १९७० द्वारा रखा गया
ख३९,. उ०प्र० अधिनियम सं १२ सन् १९६४ द्वारा जोड़ा गया
ख४०,. उ०प्र० अधिनियम सं १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख४१,. उ०प्र० अधिनियम सं १७ सन् १९६६ द्वारा शब्द ''पाँच वर्ष'' के स्थान पर प्रतिस्थापित
ख४२,. उ०प्र० अधिनियम सं ३ सन् १९८७ द्वारा रखा गया
ख४३,- उ०प्र० अधिनियम सं २१ सन् १९६४ की धारा द्वारा प्रतिबन्धात्मक खण्ड जोड़ा गया
ख४४,. उ०प्र० अधिनियम सं० ३ सन् १९८७ द्वारा रखा गया
ख४५,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख४६,. उ०प्र० अधिनियम सं० २१ सन् १९६४ की धारा १९(१) द्वारा शब्द बढ़ाये गये
ख४७,. उ०प्र० अधिनियम सं० २१, १९६४ की धारा १९(२) द्वारा बढ़ायी गई व सदैव से बढ़ायी गयी समझी जायगी
ख४८,- उ०प्र० अधिनियम सं० २३, १९६१ द्वारा शब्द तथा अंक ''उपधारा (२) के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस के फलस्वरूप'' के स्थान पर रखा गया।
ख४९,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख५०,. उ०प्र० अधिनियम सं० ६ सन् १९६१ की धारा ६१ द्वारा शब्द ''और चुंगी तथा पथकर की दशा में चुंगी तथा पथकर की सीमा का अवधारण'' निकाले गये।
ख५१,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख५२,. उ०प्र० अधिनियम सं० १७ सन् १९६६ द्वारा अन्तःस्थापित
ख५३,. उ०प्र० अधिनियम सं० १७ सन् १९६६ द्वारा ''धारा २२१–क'' अन्तःस्थापित
ख५४,. उ०प्र० अधिनियम सं० १७ सन् १९६६ द्वारा २२१–ख अन्तःस्थापित।
ख५५,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख५६,. उ०प्र० अधिनियम सं० ६ सन् १९६१ द्वारा निकाला गया